न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–12/2017 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. गिरधारी पुत्र गिर्राज पौत्र चिम्मन जाति ब्राहमण निवासी नंगला माधोपुर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. सियाराम पुत्र चतुर्भुज जाति ब्राहमण
2. राधाकिशन पुत्र चतुर्भुज जाति ब्राहमण
3. गंगाप्रसाद पुत्र श्यामलाल जाति ब्राहमण
4. रामचरण पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण
5. भारत पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण
6. सुभाष पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण
7. अशोक पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण
8. राजेन्द्र पुत्र लीलाधर जाति ब्राहमण
9. सतीश पुत्र लीलाधर जाति ब्राहमण
   निवासीयान ग्राम नंगला माधोपुर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0
10. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर अलवर बहैसियत प्रतिनिधि राजस्थान सरकार।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर बहैसियत लैण्ड होल्डर
12. फतेहसिंह पुत्र समयसिंह जाति गुर्जर निवासी गुर्जर का नंगला तन सौंखरी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

..... रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :–
1. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपत सिंह नरूका, राजकीय अभिभाषक।

::: निर्णय :::

दिनांक :–22.10.2019

यह अपील विद्धान उपखण्ड अधिकारी, कठूमर के निर्णय दिनांक 16.01.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने एक प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नं0 263 रकबा 0.94है0 जिसका साबिक खसरा नंबर 250/1 मिन रकबा 1 विस्वा, 251 मिन रकबा 3 बीघा 13 विस्वा, खसरा नं0 हाल 477 रकबा 0.89 है0 जिसका साबिक खसरा नंबर 395मिन रकबा 3 बीघा 10 विस्वा, खसरा नं0 हाल 304 रकबा 0.68 है0 जिसका सावित खसरा नं0 285 मिन रकबा 2 बीघा 14 विस्वा, खसरा नं0 हाल 298 रकबा 0.28 है0 जिसका सावित खसरा नंबर 285/1 मिन रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा ग्राम नंगला माधोपुर तह0 कठूमर में स्थित है।सायल व गैरसायलान एक ही बुजुर्ग श्री माधोलाल के वारिसान हैं तथा विवादित आराजी लक्ष्मीनारायण, श्यामलाल, चिम्मन की पैदा कर्दा आराजी है। जिस पर सायल व गैरसायलान मुताबिक हिस्सा शामलात में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। ख0नं0 263, 298 में फसल बोई हुई है तथा 304 व 477 मे जोत लगाकर फसल बोई लेकिन कम बारिश के कारण उगी नही। विवादित आराजी सायल व गैर सायल संख्या 01 लगा0 09 के बुजुर्गान के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जो विरासत में सायल व गैर सायलान को प्राप्त हुई है।

अभिभाषक अपीलांट ने तर्क किया कि अमला सेटलमेंट जो गैर सायल संख्या 10 के अधीनस्थ कर्मचारी हैं जिन्होंने बिना किसी हक व अधिकार के व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के विवादित आराजी को गलत रूप से गै0मु0 चारागाह दर्ज कर दिया। जबकि अमला सेटलमेंट को पूर्व इन्द्राज को बदलने का कोई अधिकार नहीं था। अमला सेटलमेंट को पूर्व इन्द्राज को ही दोहराना चाहिये था। गैर सायल संख्या 10 व 11 उक्त गलत इन्द्राज की आड में सायल व गैर सायल संख्या 01 लगा0 09 को खातेदार मानने से इन्कार कर रहे हैं। जबकि सायल व गैर सायल संख्या 01 लगा0 09 विवादित आराजी के कृषक खातेदार हैं तथा खातेदारी प्राप्त करने के मुश्तहक हैं। गैर सायलान शामलात काश्तकारी करने में रूकावट व मजाहमत करते हैं।गैर सायलान सायल को काश्त नहीं करने देने व दीगर लोगों को आवण्टन करने की धमकी देते हैं। गैर सायल संख्या 12 ठेकेदार है जिसने विवादित आराजी पर लेवर लेकर पोखर खोदना चालू कर दिया एवं मना करने पर मान नही रहा है। जबकि गैर सायल को ऐसा करने का अधिकार नही है। यदि गैर सायलान अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो सायल को अपार हानि, क्षति व असुविधा होगी। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये गैर सायलान को ता–फैसला दावा पाबन्द करने का निवेदन किया।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी संवत 2071 से 2074, नकल जमाबंदी संवत 2028, नकल मिलान क्षेत्र0, नकल जमाबंदी संवत 2013 से 2016, नकल जमाबंदी संवत 2009 खसरा गिरदावरी संवत 2002 से 2005 , 2014 से 2017, 2018 से 2019 वाके ग्राम नंगला माधोपुर की छाया प्रति व नकल नोटिस धारा 80 जा0दी0 व नकल रसीद पोस्टल रसीद प्रस्तुत की। विद्वान तहत न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 कर गैर सायलान को तलब किया। गैर सायल संख्या 01, 02 व 04 लगा0 09 ने हाजिर अदालत होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर सायल का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.2017 को खारिज कर दिया जिस निर्णय दि0 16.01.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी । विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराया तथा दावे के तथ्यों का हवाला दिया । साथ ही विवादित आराजी का विवरण दिया । विवादित आराजी ग्राम नंगला माधोपुर तह0 कठूमर में स्थित है । अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान तर्क किया कि तहत अदालत का आदेश विधि विरूद्ध, कब्जे व मौके के खिलाफ तथा साबिक रिकॉर्ड के विपरीत होने के कारण अपास्त होने योग्य है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा व न्याय का संतुलन तथा नापूर्ति होने वाली हानि सायल अपीलांट के पक्ष में बखूबी आयद व साबित थे लेकिन तहत अदालत ने कयासिया आधार पर उक्त बिंदू अपीलांट सायल के हक में न मानकर प्रार्थना पत्र सायल खारिज करने में कानूनी भूल की है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण के लिये तहत अदालत को प्रथम दृष्टया मामला सुविधा व न्याय का संतुलन तथा नापूर्ति होने वाली हानि के तीनों बिन्दुओं का अलग अलग विवेचन व निस्तारण करना चाहिये था। लेकिन तहत अदालत ने उक्त बिंदुओं का अलग अलग कानूनी परिप्रेक्ष्य में निस्तारण नही कर प्रार्थना पत्र सायल खारिज करने में कानूनी भूल की है। खसरा गिरदावरी में भी उनका कब्जा काश्त दर्शाई गई है।तहत अदालत ने तथ्यों व दस्तावेजों पर उचित व पर्याप्त गौर नही किया और महज विवादित आराजी जो राजस्व रिकॉर्ड में गलत व कब्जे व मौके के खिलाफ सरकारी चारागाह दर्ज को सरकारी चारागाह मानकर प्रार्थना पत्र खारिज किया है जबकि साबिक दस्तावेज व प्रार्थना पत्र से बखूबी साबित था कि विवादित भूमि सरकारी चारागाह अमला सेटलमेंट ने गलत व साबिक रिकॉर्ड के विपरीत व कब्जे व मौके के खिलाफ दर्ज की है जिसके आधार पर अपीलांट को शांतिपूर्वक कार्य काश्त करने व उसे बेदखल करने का अंदेशा है। उक्त तर्कों के आधार पर अपील अपीलांट को स्वीकार करने का निवेदन किया।

जबाव में सरकार पैरोकार द्वारा कथन किया गया कि विवादित आराजीयात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है। चारागाह आराजी से किस्म परिवर्तन नही हो सकता। इस पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही हो रखा है। अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । तहत न्यायालय के आदेश दि0 16.01.2017 का अवलोकन किया । बन्दोबस्त विभाग द्वारा संवत 2028 में चारागाह दर्ज किये जाने के उपरान्त यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित भूमि है। विवादित आराजीयात के कब्जे काश्त बाबत दस्तावेज खसरा गिरदावरी व जमाबंदी से अपील के सजरे की आंशिक ताईद, ये सारे तथ्य वाद के विषय है। प्रथम दृष्टया यहां यही देखा जाना है कि वाद दायर के समय विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त के क्या आधार हैं। इसकी ताईद, मिसल व तहत अदालत की पत्रा0 से नही होती है । अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर तहत अदालत के आदेश दिनांक 16.01.2017 को यथावत रखा जाना उचित है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.01.2017 यथावत रखा जाता है। GL

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर तहत न्यायालय को उनकी पत्रावली प्रेषित की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22.10.19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर